मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 13/04/2016

क्रं. 3652 /NR-3/Tech./2016, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रं. 6545/NREGS/NR-3/2011 दिनांक 22.06.2011 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के टास्क में **"कार्य, समय एवं गति अध्ययन"** के आधार पर किया गया युक्तियुक्तकरण श्रमिकों के प्रतिदिन आठ घण्टे (विश्राम अवधि छोड़कर) कार्य करने पर आधारित है।

सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संदेश दिनांक 22 जनवरी 2016 के साथ जारी मास्टर सर्कुलर (Master Circular FY 2016-2017) की कण्डिका 2.7.6 के अनुसार कार्य करने की अवधि एक घण्टे विश्राम के साथ आठ घण्टे है। कार्य करने की अवधि 8 घण्टे के स्थान पर 7 घण्टे होने के फलस्वरूप महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के प्रचलित टास्क में समानुपातिक आधार पर 12.5 प्रतिशत की कटौती की जाती है। यह कटौती आदेश दिनांक से प्रभावशील होगी।

2/– भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा अकुशल मजदूरी की दर रू. 167/– प्रतिदिन कर दी गई है, अतएव उपरोक्तानुसार टास्क में कटौती तथा अकुशल मजदूरी की दर में वृद्धि के फलस्परूप जिला दर अनुसूची (District SOR) में संशोधन होना, सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनिश्चित करें।

(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक /3653/ NR-3/Tech./2016 भोपाल, दिनांक : 13/ 04/ 2016

प्रतिलिपि –

1. **स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव,** म.प्र. शासन, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. **प्रमुख सचिव,** म.प्र. शासन, लोक निर्माण/जल संसाधन/वन/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. **प्रमुख अभियंता,** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. **संभागायुक्त,** संभाग समस्त म.प्र.।
5. **अधीक्षण यंत्री,** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त म.प्र.।
6. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,** जिला समस्त म.प्र.।
7. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला पंचायत – समस्त म.प्र.।
8. **कार्यपालन यंत्री,** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त म.प्र.।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)